न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
69/2020/प्रा.पत्र/2020	21.09.2020	06.08.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1—श्री गोपाल लाल विजय पुत्र स्व0 श्री घनश्याम विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स गोपाल स्वीट्स छाया मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड 6 छाया मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज0

2— मैसर्स गोपाल स्वीट्स छाया मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) (iv)एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2—अप्रार्थीगण उपस्थित

:—<u>निर्णय</u>—: **दिनांक 06.08.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.07.2020 को समय 2.42 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स गोपाल स्वीट्स छाया मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज0पर पहुंचां। विकेता की हैसियत से गोपाल लाल विजय पुत्र स्व0 श्री घनश्याम विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स गोपाल स्वीट्स छाया मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड 6 छाया मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान मे मिल्क केक मावा निर्मित (Milk Cake Khoya Based) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विकृता श्री गोपाल लाल विजय को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर [illegible] की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता गोपाल लाल विजय एवं गवाह के हस्ताक्षर कर[illegible] प[illegible] ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:01 IST
Reason: SelfAttested

1210

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा दुकान मे 2 पेपर कार्टून मे लगभग 2.450–2.450 किलोग्राम **मिल्क केक मावा निर्मित** (Milk Cake Khoya Based) रखे हुये मे से एक कार्टून का चयन कर व उसको खोलकर 2 किलोग्राम बॉट मापक मशीन से साफ व सूखी अलग से स्टील की ट्रे मे तुलवाकर नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रता. श्री गोपाल लाल विजय को रू0 500/–अक्षरे पॉच सो रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मिल्क केक मावा निर्मित** (Milk Cake Khoya Based) 2 किलोग्राम को 500–500 ग्राम अलग–अलग बॉट मापक मशीन से तुलवाकर चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशीयो मे बराबर भरकर बतौर 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 40–40 बूंदे प्रत्येक शीशी मे डालकर अच्छी तरह हिला–मिलाकर एक रूप कर शिशीयो के ढक्कन को एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार भाग कर तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2500 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2500 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता. गोपाल लाल विजय के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर करखाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2020/2808 दिनांक 21.08.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1080/एक्ट/2020/1151 दिनांक 14.08.2020 अनुसार गोपाल लाल विजय से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **मिल्क केक मावा निर्मित** (Milk Cake Khoya Based) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 2(ii) (iv) के अनुसार **बाहय अपद्रव्य** (Extranious Matt[illegible] व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:01 IST
Reason: SelfAttested

1211

अपर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक** (Sub-Standard) व **बाहय अपद्रव्य** (Extranious Matter) स्तर का **मिल्क केक** मावा निर्मित (Milk Cake Khoya Based) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) (iv) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिल्क केक मावा निर्मित** (Milk Cake Khoya Based) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) व **बाहय अपद्रव्य** (Extranious Matter) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिल्क केक मावा निर्मित** (Milk Cake Khoya Based) का नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) व **बाहय अपद्रव्य** (Extranious Matter) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)(iv) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री गोपाल लाल विजय पुत्र स्व0 श्री घनश्याम विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स गोपाल स्वीट्स छाया मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड 6 छाया मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संवंधित मद में निर्णय दिनांक 06.08.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

6-8-2021

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner